न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा.पत्र संख्याः— 16/2017

निर्णय दिनांकः— 25.02.2021

1. श्रीमति रामभरोसी पत्नी महावीर प्रसाद जाति बलाई निवासी पलाई तह0 उनियारा जिला टोंक

—प्रार्थीया

बनाम

1.जगदीश पुत्र ग्यारसा जाति बलाई निवासी पलाई तह0 उनियारा जिला टोंक

—प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः— श्री प्रेमचन्द जैन वकील वादीया
श्री बाबुलाल जैन वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रके संक्षेप में निम्नप्रकार है—

यह है कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 415 खसरा नं0 109 रकबा 3.00, ख0न0 178 रकबा 2.76, ख0न0 420 रकबा 0.81 , ख0न0 992 रकबा 0.03, ख0न0 993 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई एवं खाता संख्या 120 ख0न0 105 रकबा 1.73, ख0न0 106 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयत से अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। परन्तु प्रार्थीया औरतजात होने से प्रतिपक्षीगण जबरन कब्जा करने पर उतारू है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीया को अपने जायज हक से वंचित होना पडेगा।

अतः प्रार्थना—पत्र शपथ—पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना हे कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया की खातेदारी व काबिज

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

TI. FESLA.3

काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावें।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता को जवाब प्रा0पत्र हेतु अंतिम अवसर देने के बावजुद पेश नहीं किया गया। प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता का जवाब बन्द किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में है। अतः दिनांक 16–08–2018 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावें विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने अपनी बहस में खंडन नहीं किया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभय पक्षों की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। अतः मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रभावित होने से सुविधा संतुलन एवं अपुरणीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होती है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। दिनांक 16.08.2018 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसलसुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

TL FESLA.4